महत्वपूर्ण एवं खास

आईईडी ब्लास्ट के बाद नक्सलियों ने उसी जगह पर बांधा बैनर

कांकेर (आरएनएस)। जिले के आमाबेड़ा मार्ग पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया था, आज इस मामले की जांच करने डीआरजी की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे इलाके की सर्चिंग कर रही है। कल एंबुश के खतरे के चलते फोर्स नहीं पहुंची थी। आज सुबह कुएमारी एरिया कमेटी के नक्सलियों ने उसी जगह पर बैनर बांधकर इसमें आमाबेड़ा सड़क निर्माण रोकने की धमकी दिया गया है। बैनर में लिखा है कि अगर निर्माण कार्य बन्द नहीं किया गया, तो गाड़ियों में आगजनी कर दी जाएगी। नक्सली चेतावनी के बाद भी जवान मौके पर पहुंचकर डीआरजी जवान मार्ग बहाल करने का प्रयास कर रही है।

शराब के नाम से दर्जनों सायबर ठगी के मामले,पुलिस जांच में जुटी

अंबिकापुर (आरएनएस)। शराब होम डिलीवरी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले आने शुरू हो चुके हैं. ठग गिरोह व्हाट्सएप और फेसबुक पर सक्रिय हो गए हैं. होम डिलीवरी का झांसा देकर ठग गिरोह फोन पे के माध्यम से पैसे जमा करवा ले रहे हैं. शराब पीने के आदी लोग तत्काल पैसे जमा कर दे रहे हैं. दर्जनों लोग ठगी के शिकार हो चुके हैं. कुछ लोग पुलिस में शिकायत के लिए सामने आये हैं. ठग द्वारा जो लिंक भेजा जा रहा है उसे आबकारी विभाग ने भी फर्जी बताया है. एडिशनल एसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस और साइबर सेल जाँच में जुट चुकी है. बता दें कि स्प्रिट और सिरप पीकर कई लोगों की मौत के बाद आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने निर्णय लिया कि 10 मई से शराब की होम डिलीवरी दी जाएगी. इस आदेश के बाद एक बार फिर से फर्जी वेबसाइट के जरिये ठगी का सिलसिला शुरू हो गया है.

प्रदेश में लगातार तीसरे दिन 61 हजार से अधिक सैंपलों की जांच

» 6 मई को 61344, 7 मई को 61939 और 8 मई को 61914 सैंपल जांचे गए

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए रोज बड़ी संख्या में सैंपलों की जांच की जा रही है। प्रदेश में पिछले तीन दिनों से रोजाना 61 हजार से अधिक सैंपल जांचे जा रहे हैं। विगत 6 मई को प्रदेश भर में कुल 61 हजार 344, 7 मई को 61 हजार 939 और 8 मई को 61 हजार 914 सैंपलों की जांच की गई है। बीते 8 मई को दुर्ग संभाग के पांच जिलों में 12 हजार 036, रायपुर संभाग के पांच जिलों में 13 हजार 137, बिलासपुर संभाग के छह जिलों में 17 हजार 399, सरगुजा संभाग के पांच जिलों में 9652 तथा बस्तर संभाग के सात जिलों में 9690 सैंपलों की जांच की गई है।

बड़े भाई पर जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार

कवर्धा (आरएनएस)। जिले के पंडरिया थाना क्षेत्र में एक आरोपी ने अपने ही बड़े भाई पर टंकिया से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना 08 मई की है। प्रार्थी हरीश पिता प्रकाश गिरी 62 वर्ष निवासी उदका थाना पंडरिया ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी उसका छोटा भाई धनश्याम गिरी 59 ने दीवाल खड़ा करने के नाम पर उसके साथ विवाद करते हुए जान से मारने की नियत से टंगिया से उसके सिर पर मार दिया जिससे उसे गंभीर चोटें आई है। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर अप.क. 140/21 धारा 307 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने आज इस मामले में आरोपी घनश्याम गिरी को गिरफ्तार कर न्यायालय ज्यु.रिमांड पर भेजा गया है।

कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा

» पत्रकार और वकीलों तथा उनके परिजनों को भी फ्रंट लाईन वर्कर के समान टीकाकरण में मिलेगी प्राथमिकता

» कोमार्बिडिटी वाले व्यक्ति, भोजन प्रदाय करने वाले, सब्जी विक्रेता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, पंचायत सचिव, कोटवार-पटेल और पीडीएस प्रबंधक और विक्रेता फ्रंट लाईन वर्कर की सूची में शामिल

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण के लिए अहम घोषणा की है जिसके तहत विभिन्न श्रेणियों के लोगों को फ्रंट लाईन वर्कर मानते हुए उनके टीकाकरण करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही राज्य के पत्रकार और वकीलों तथा उनके परिजनों को भी फ्रंट लाईन वर्कर के समान ही टीकाकरण करने की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है।

गौरतलब है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पूर्व में ही निर्देश दे दिए गए थे परंतु मामला न्यायलयीन होने के कारण लंबित था। कई अन्य राज्यों में पत्रकारों और वकीलों को फ्रंट लाईन वर्कर मानते हुए उनका टीकाकरण किया जा रहा है परंतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए राज्य के पत्रकारों और वकीलों के साथ ही उनके परिजनों को भी फ्रंट लाईन वर्कर के समान टीकाकरण में प्राथमिकता देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री बघेल द्वारा इस संबंध में पूर्व में दिए निर्देश और टीकाकरण के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिवों की समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा फ्रंट लाईन वर्कर की सूची में जिन श्रेणियों को शामिल किया है उनमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिभाषित कोमार्बिडिटी वाले व्यक्ति, भोजन प्रदाय करने वाले एवं सब्जी विक्रेता, बस ड्राइवर कंडक्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, पंचायत सचिव/कर्मी, पीडीएस दुकान प्रबंधक और विक्रेता, इंसटिटुशनल केयर में रहने वाली महिलाएं, गांव के कोटवार एवं पटेल, राज्य सरकार के कर्मचारी, राज्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी और उनके इमिडियेट परिजन शामिल हैं।

इसी तरह इस सूची में वृद्धाश्रम में, महिला देखभाल केन्द्रों एवं बाल देखभाल में कार्यरत व्यक्ति, शमशान, कब्रिस्तान में कार्यरत व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली अर्धशासकीय संस्थाओं जैसे- प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, मार्कफेड, सहकारी बैंक में कार्यरत कर्मचारी, कलेक्टर द्वारा कोरोना ड्यूटी पर लगाए गए व्यक्ति, राज्य शासन द्वारा परिभाषित किसी अन्य श्रेणी के व्यक्ति को भी शामिल किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा फ्रंट लाईन वर्कर की पहचान के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किया जाएगा। यदि फ्रंटलाइन वर्कर श्रेणी का कोई व्यक्ति एपीएल का छोड़कर अन्य कोई राशनकार्ड लाता है तो उसे भी उस राशनकार्ड की श्रेणी में माना जाएगा और यदि राशनकार्ड लेकर नही आता है तो उसे फ्रंट लाईन वर्कर की श्रेणी में माना जाएगा। जेल में रहने वाले बंदियों को भी टीकाकरण में वही प्राथमिकता दी जाए जो फ्रंटलाइन वर्कर को दी जाएगी क्योकि वो अपनी सुरक्षा नही कर सकते। इसी प्रकार वकीलों और पत्रकारों तथा उनके इमिडियेट परिजनों को भी फ्रंटलाईन वर्कर के समान ही टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी।

रामानुजगंज करीब 5 दशकों से नगर के वार्ड क्रमांक 9 में स्थित सत्यनारायण धर्मशाला दशकों तक नगर का एकमात्र शादी ब्याह एवं अन्य मांगलिक कार्य के लिए प्रयुक्त होता रहा वही जिसे आधुनिक स्वरूप देने की योजना से कार्य किया जा रहा है वही बहुत कम दर में आमंत्रण धर्मशाला भी लोगों को सेवाएं दे रहा है वही यहा बड़े वाहनों के खड़ा करने एवं बड़े वाहनों के आने-जाने की परेशानी को देखते हुए धर्मशाला सामने की जमीन को चौड़ीकरण धर्मशाला कमेटी के द्वारा कराया जा रहा है जिससे इसकी सुंदरता तो बढ़ेगी ही साथ ही पर्याप्त जगह भी मिल पाएगा साथ ही साथ इसका उपयोग नगर के लोग कर सकेंगे।

राज्य शासन द्वारा सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य आयोजनों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी

» शादियों और अन्त्येष्टि में 10 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध

» सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्य आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य आयोजनों के संबंध में सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश आज जारी किए गए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण हेतु शादियों में 10 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा तथा अन्त्येष्टि में 10 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा। अन्य समस्त प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्य आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों के संबंध में धार्मिक गुरूओं, प्रमुखों से अपील की जाए कि वे लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों में भीड़भाड़ न करने तथा पूजा व अन्य आयोजन अपने-अपने घरों में व्यक्तिगत रूप से करने के लिए प्रोत्साहित करें। कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के द्वारा आईसोलेशन प्रोटोकॉल के पालन की समय-समय पर जांच की जाए।

छत्तीसगढ़ में 7 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना को दी मात

» प्रदेश की रिकवरी दर 83 प्रतिशत, 81 प्रतिशत मरीज होम आइसोलेशन में स्वस्थ हुए

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में अब तक सात लाख से अधिक लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत के बाद से अब तक पॉजिटिव पाए गए कुल आठ लाख 42 हजार 356 लोगों में से सात लाख एक हजार 116 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 81 प्रतिशत यानि पांच लाख 68 हजार 636 मरीजों ने होम आइसोलेशन में इलाज कराकर कोरोना पर विजय पाई है। वहीं एक लाख 32 हजार 480 कोरोना संक्रमित कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश की रिकवरी दर अभी 83 प्रतिशत से अधिक है।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत के बाद से रायपुर जिले में सर्वाधिक एक लाख 35 हजार 358 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं दुर्ग जिले में 84 हजार 799, बिलासपुर में 50 हजार 208, राजनांदगांव में 45 हजार 956, रायगढ़ में 38 हजार 697, कोरबा में 37 हजार 133, जांजगीर-चांपा में 35 हजार 818, बलौदाबाजार-भाटापारा में 28 हजार 788 और महासमुंद में 21 हजार 010 लोग कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके हैं।

सरगुजा जिले में अब तक 19 हजार 738, बालोद में 19 हजार 099, धमतरी में 17 हजार 862, बेमेतरा में 15 हजार 155, कबीरधाम में 14 हजार 813, सूरजपुर में 14 हजार 731, कांकेर में 14 हजार 292, बस्तर में 13 हजार 813, गरियाबंद में 13 हजार 670, जशपुर में 13 हजार 349, कोरिया में 12 हजार 482, मुंगेली में 12 हजार 185, बलरामपुर-रामानुजगंज में 9105, कोंडागांव में 8060, दंतेवाड़ा में 7650, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 5143, बीजापुर में 4687, सुकमा में 4654 और नारायणपुर में 2333 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं।

प्रदेश कांग्रेस कार्यकारणी की वर्चुवल बैठक सम्पन्न, कांग्रेस चलाएगी मेरा बूथ कोरोनामुक्त अभियान

» बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चंदन यादव भी हुए

» पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केंद्र के खिलाफ रखा निंदा प्रस्ताव

रायपुर, 09 मई (आरएनएस)। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारणी की महत्वपूर्ण वर्चुवल बैठक प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ,प्रभारी सचिव चंदन यादव पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। बैठक में सभी जिला अध्यक्षो से प्रभारी प्रदेश पदाधिकारियों ने उनके जिलों में कोरोना के हालात, कांग्रेस कमेटियों द्वारा चलाये जा रहे राहत कार्यों, जिलों में वेक्सिनेशन की प्रगति, बेड ऑक्सीजन की उपलब्धता के सम्बंध में विस्तृत जानकारी दिया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार द्वारा उर्वरकों के दामों में की गई 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी ,तथा कोरोना के वैक्सीन के दामों में,चिकित्सा उपकरणों दवाओं जीएसटी लगाए जाने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखा ।उन्होंने दूसरी लहर के पहले ही राज्य की 12 औद्योगिक ऑक्सीजन बनाने वाली इकाइयों को त्वरित मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के लाइसेन्स देने के दूरदर्शी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया ।उन्होंने कहा इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नही हुई और प्रदेश ने अन्य राज्यो की भी सहायता किया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कोरोना की दूसरी बेब के दौरान राज्य सरकार द्वारा किये गए उपायों ,तथा चिकित्सा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दिया ।उन्होंने बताया कि केंद्र के द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगो को वैक्सीन देने की घोषणा तो कर दिया गया लेकिन राज्य को वैक्सीन कैसे मिलेगा इसकी कोई कार्य योजना नही बताइ गयी। 01 मई को दोपहर 1 बजे 1.5 लाख वैक्सीन दिया गया। पर्याप्त वैक्सीन नही होने के कारण हमने गरीबो को प्राथमिकता दी जिसके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया ।

पर्याप्त वैक्सीन मिलने पर सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने का हमारा निश्चय दृढ़ है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ सरकार पूरी ताकत से प्रदेश के लोगो के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा लड़ाई अभी जारी है ।तीसरी वेव के लिए भी तैयारियां की जा रही। उन्होंने मेरा बूथ कोरोना मुक्त का नारा दिया जिसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने तुरंत अभियान शुरू करने की घोषणा की।

प्रदेश सरकार को अस्पताल में दम तोड़ रहे मरीजों की नहीं शराबियों की चिंता है-रमन

» कहा-कोरोना संकट में देश की पहली सरकार है जो शराब की होम डिलीवरी करायेगी

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना महामारी के बीच में शराब के शौकीन लोगों की चिंता करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में शराब की ऑनलाइन होम डिलीवरी की सेवा शुरू करने का आदेश जारी करने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि ये देश की पहली सरकार है जो इस कोरोना संकट के समय में शराब की होम डिलीवरी करायेगी। इस सरकार को मरीजो की नहीं शराबियों की चिंता है।

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ सिंह ने कहा कि ये सरकार आपके घर राशन, दवाई और वैक्सीन पहुचे या न पहुंचे पर शराब जरूर पहुचाएंगे।उन्होंने कहा कि एक ओर जहां अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे है ,लेकिन इस सरकार को बस शराबियों की चिंता है।

गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपनी धर्मपत्नी के साथ लगवाया कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका

» कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी : गृह मंत्री

रायपुर (आरएनएस)। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कोरोना महामारी संक्रमण से सुरक्षा के लिए वेक्सिनेशन को जरूरी बताते हुए सभी पात्र लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वेक्सिनेशन से ही बचाव संभव है। गृहमंत्री साहू ने आज अपनी धर्मपत्नी के साथ वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। उन्होंने पहला डोज 9 अप्रैल को लिया था। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने से उन्हें किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सारे प्रबंध किए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराएं है। गृहमंत्री ने कहा कि वेक्सीनेशन पूरी तरह से सुरक्षित है, इससे डरें नहीं, घबराएं नहीं। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि लोग अफवाहों में नहीं आएं और वेक्सीन के दो डोज लगवाएँ तथा अपने एवं परिवार के जीवन को सुरक्षित करें। उन्होंने लोगों से निवेदन किया है कि अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर ना जाएं। हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें और दो गज की दूरी बनाए रखें।

हाथियों का दल फिर पहुंचा नगरी,फसल को पहुंचाया नुकसान

नगरी (आरएनएस)। नगर पंचायत नगरी के वार्ड क्रमांक 8 के सीमा के अंतर्गत शासकीय वन काष्ठागार नगरी की घेरा से लगे हुए किसान अशोक पटेल के खेतों की रबी फसल को हाथियों के दल ने शनिवार रात्रि तहस-नहस कर दिया है। रविवार को सुबह जब किसान खेत पहुंचा तो कटाई के लिए तैयार हो चुकी फसल पूरी तरह तहस नहस हो चुका था। हाथियों की अज्ञात संख्या ने उस फसल को पुरी तरह नुकसान पहुंचा दिया है इसके अलावा खेतों की सुरक्षा घेरा को पूरी तरह तोड़ दिया है। ज्ञात हो कि इसके पूर्व जनवरी माह में हाथियों का दल इसी खेत पर लगातार दो दिनों तक पहुंचा था और सब्जी की फसल,धान के थरहा तथा मचान को काफी नुकसान पहुंचाया था।

किसान ने मुआवजे के लिए संबंधित विभाग को आवेदन भी प्रस्तुत किया था। जिसकी प्रक्रिया चल रही है। किसान ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को हाथियों के इस उत्पात की जानकारी दे दी है। किसान को पुनः आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया है।

कोरोना के चलते विशाखापट्टनम-रायपुर- विशाखापट्टनम स्पेशल एक्सप्रेस का परिचालन रद्द

रायपुर (आरएनएस)। कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर उड़ीसा राज्य में की जा रही लॉकडाउन के मद्देनजर विशाखापट्टनम एवं रायपुर के मध्य चलने वाली स्पेशल एक्सप्रेस का परिचालन 08, 09, 15 एवं 16 मई' 2021 को रद्द किया गया था। इसी कड़ी में इस गाड़ी का परिचालन अब 10 एवं 11 मई को भी रद्द किया गया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कृष्ण सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐक्ता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य तथा में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU